कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–सलूम्बर, राज.

कमांक : 23 **दिनांक : 18.11.2025**

कार्यालय आदेश

मैं विनीत कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–सलूम्बर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) व 450 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **दिसम्बर, 2025 व जनवरी, 2026** में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों के लिए सलूम्बर न्याय–क्षेत्र में स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से सम्बंधित आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड सम्बंधी कार्य तथा जमानत प्रार्थना–पत्र, सुपुर्दगी, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे–मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest), प्रोटोकॉल एवं अन्य (जिन्हें अद्योहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करता हूं–

December, 2025 & January, 2026 Remand Duty			
क.सं.	**अवकाश की दिनांक**	**न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन**	**मोबाईल नंबर**
1.	07.12.2025 25.12.2025	श्रीमती ज्योति पुरी A.C.J.M. Salumber	9672120352
2.	13.12.2025 14.12.2025 **01.01.2026**	श्री विनय डाबी, C.J.& JM. Sarada	9950754078
3.	21.12.2025 27.12.2025 28.12.2025	श्रीमती पल्लवी बोहरा C.J.& JM. Salumber	7300370860

नोट :–

(1) उपर्युक्त वर्णित सारणी के अतिरिक्त, उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, सलूम्बर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से सम्बंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे।

(2) उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है अथवा अवकाश पर रहने/मुख्यालय परित्याग करने की प्रस्तावना करता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमांड ड्यूटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके कम से कम 04 दिवस पूर्व इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे, तो इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

(4) उपरोक्त अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्यदिवस को न्यायालय समय पश्चात् समय से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी। रिमाण्ड ड्यूटी के आगामी दिवस पर अवकाश घोषित होने की दशा में उक्त घोषित अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन उक्त दिवस से पूर्व दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किए जाने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

(5) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमांड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारण उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमांड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जावेगी।

(6) समस्त थानाधिकारी अभियुक्त/गण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश करें तथा विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही अभियुक्त/गण को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

18.11.2025

(विनीत कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला–सलूम्बर (राज.)

क्रमांक : स्था/2025/ 299-307 दिनांक : 18.11.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई–मेल प्रेषित है –

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला–सलूम्बर
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जिला–सलूम्बर को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. सलूम्बर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. पुलिस कंट्रोल रूम, जिला–सलूम्बर।
6. अध्यक्ष, बार एसोसियशन, जिला–सलूम्बर।

18.11.25

(विनीत कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला–सलूम्बर (राज.)